चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 12.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 12.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(3). आज दिनाँक 12.02.2025 को पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज व माघी पूर्णिमा को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु रामघाट का नाव से भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा कहा गया कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज से जनपद चित्रकूट में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए लगातार रोड पर मोबाइल पार्टी व पीआरवी वाहन भ्रमणशील है। अधिशासी अधिकारी कर्वी को निर्देशित किया कि रामघाट एवं परिक्रमा मार्ग पर साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को भी निर्देशित किया कि अपनी-अपनी जगह सतर्क होकर ड्यूटी करें। माँ मंदाकिनी नदी में बैरिकेडिंग के साथ ही साथ पोस्टर लगवाएं जिससे कि श्रद्धालु गहने पानी के अंदर न जाने पाए। जनपद में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम यातायात व सुरक्षित माहौल बना रहे। श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए प्रयाप्त मात्रा में पार्किंग की व्यवस्था की गयी है। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों को सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने तथा श्रद्धालुओं से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने हेतु बताया गया।
भ्रमण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, अधिशासी अधिकारी कर्वी श्री लालजीत यादव, प्रभारी सीतापुर श्री अनिल गुप्ता एवं पीआरओ श्री प्रदीप पाल उपस्थित रहे।

(4). आज दिनांक 12.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में महाकुंभ 2025 प्रयागराज, माघी पूर्णिमा मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रामघाट,निर्मोही अखाड़ा,यूपीटी तिराहा,बेडीपुलिया, धनुष चौराहा,पटेल तिराहा,बस स्टैण्ड,चकरेही चौराहा एवं मेला क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के आस पास भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी ।

(5). पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज व माघी पूर्णिमा को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु परिक्रमा मार्ग पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा परिक्रमा मार्ग पर लगे पुलिस कर्मियों से सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने निर्देशित किया गया । अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं द्वारा लेटकर तथा पैदल परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा मार्ग में सफाई की अत्यधिक ध्यान रखा जाए ताकि श्रद्धालुओं को परिक्रमा करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो । परिक्रमा मार्ग पर लगे दुकान के दुकानदारों से कहा गया कि आप लोग अपने दुकानों को रोड के किनारे ही लगाये रोड पर अतिक्रमण न करें। परिक्रमा मार्ग के आस पास बैरियरों पर लगे पुलिस कर्मियों को बताया गया कि परिक्रमा मार्ग में वाहनों को जाने से रोके।
भ्रमण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, अधिशासी अधिकारी कर्वी श्री लालजीत यादव, प्रभारी सीतापुर श्री अनिल गुप्ता एवं पीआरओ श्री प्रदीप पाल उपस्थित रहे।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी सुजीत द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा आज

दिनाँक 12.02.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 100/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त कुलदीप यादव पुत्र उदयभान निवासी गडार का पुरवा मजरा सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी विजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 104/15 धारा 279,337,338,304ए भादवि0 के आरोपी अभियुक्त श्यामदीन पुत्र मूलचन्द्र निवासी कैलाहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष का कारावास व 7500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री वंशनारायण सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी द्वारा अभियुक्त शिवम ओझा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश ओझा निवासी कालूराम का पुरवा मजरा सेसा सुबकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री वंशनारायण सिंह थाना मऊ

2.आरक्षी राहुल पाण्डेय

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0)एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 12.02.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 4835/2009 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1. नत्थू प्रसाद पुत्र रामोपल 2. चंद्रशेखर पुत्र रामआसरे 3.घनश्याम पुत्र दयाशंकर निवासीगण कर्वीमाफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 500-500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप

पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनाँक 12.02.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 85/2017 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र अमृतलाल निवासी बियाल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) जनपद चित्रकूट श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 12.02.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 498/2020 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र सुन्दरलाल निवासी गदाखान थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 2500/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।